प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक- 06.08.2025

थाना चोपन की साइबर टीम द्वारा आवेदक की फ्राड हुई धनराशि कुल 49750/- (उनचास हजार सात सौ पचास) रुपये उसके मूल खाते मे कराया गया वापस-

अवगत कराना है कि आवेदक आदित्य कुमार सिंह पुत्र पुत्र सुभाष सिंह निवासी सुजानगंज पोस्ट लौरी जनपद चित्रकूट हाल पता- सेक्टर बीएफ-28/10 डाला कालोनी डाला थाना चोपन जनपद सोनभद्र को दिनांक 08.07.2025 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कॉल करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने का आफर देकर आवेदक से फर्जी एप्प डाउनलोड कराकर, मोबाइल फोन का पूरा एक्सेस अपने कन्ट्रोल मे लेकर 49750/- रुपये की ठगी कर ली थी, जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 09.07.2025 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) के माध्यम से आनलाईन शिकायत दर्ज करायी गई थी।

साइबर अपराध एंव अपराधियों के नियन्त्रण हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर डॉ0 चारू द्विवेदी के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक चोपन के कुशल नेतृत्व मे थाना चोपन की साइबर टीम द्वारा NCRP पोर्टल का अवलोकन करके आवेदक की फ्राड हुई धनराशि को सम्बन्धित खाते मे होल्ड कराया गया तथा NCRP पोर्टल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके संबन्धित बैंक शाखा को जरिये ईमेल पत्राचार करके आवेदक की फ्रॉड हुई धनराशि कुल 49750/- (उनचास हजार सात सौ पचास) रुपये उसके मूल बैंक खाते में आज दिनांक 06.08.2025 को सफलतापूर्वक वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना चोपन की साइबर टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

धनराशि वापस कराने वाली टीमः-

01.श्री विजय कुमार चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक थाना चोपन सोनभद्र

02.का0 सुनील कुमार, साइबर हेल्प डेस्क थाना चोपन सोनभद्र

नोटः - साइबर अपराध की घटना होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल या नजदीकी थाने पर रिपोर्ट या cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर तुरन्त शिकायत दर्ज करायें।